

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(12)नवि/II/2020

जयपुर, दिनांक: 23 FEB 2022

आदेश


राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर आज्ञा क्रमांक प. 1(10)नवि/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम-24-ए उप नियम (II)(ए) के अन्तर्गत इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 8(22)नवि/75 पार्ट दिनांक 18.5.2005 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 21.02.2022 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर वेतनमान 37400-67000 पी.बी.-4 एल-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री निरंजन माथुर	2021-22	पदोन्नति दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी
2.	श्रीमती सुषमा रस्तौगी	2021-22	पदोन्नति दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी

उपरोक्त अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर
6. संबंधित अधिकारी.....।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(12)नविवि/II/2020

जयपुर, दिनांक: 23 FEB 2022

आदेश


राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर आज्ञा क्रमांक प. 1(10)नविवि/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम-24-ए उप नियम (II)(ए) के अन्तर्गत इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 8(22)नविवि/75 पार्ट दिनांक 18.5.2005 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 21.02.2022 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार निम्नांकित अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वेतनमान 15600-39100 पी.बी.-3 एल-19 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है : -

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री सुरेश कुमार बेनीवाल	2021-22	पदोन्नति दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी
2.	श्री तैयब खान	2021-22	पदोन्नति दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी
3.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	2021-22	पदोन्नति दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी
4.	श्री दीपक माथुर	2021-22	पदोन्नति दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी

उपरोक्त अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी.....।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय